राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. एफ. 2/08/2020/एस–1/पार्ट–फा0/195 **दिनांकः 24.05.2020**

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड–19 महामारी के संक्रमण का खतरा है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने के लिए इसे आवश्यक समझा गया है।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा परिस्थिति से निबटने के लिए समस्त अपेक्षित उपाय अपनाने कि लिए सर्वसंबंधित प्राधिकारियों को समय–समय पर विभिन्न आदेश/निदेश दिए गए हैं।

और जबकि, आदेश संख्या 40–3/2020–डीएम–1(ए) दिनांक 17.5.2020, 19.5.2020 एवम् 20.5.2020 के अनुक्रम में गृह मंत्रालय के आदेश संख्या 40–3/2020–डीएम–1 (ए) दिनांक 24–5–2020 (प्रति संलग्न) द्वारा , मानक संचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) जारी किया है जों गृह मंत्रालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 5.5.2020 के अधिक्रमण में अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए दिशा–निर्देशों से संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा जारी कार्याला ज्ञापन दिनांक 24.5.2020. (प्रति संलग्न), के अनुसार देश से बाहर फंसे भारतीय नागरिकों की आवाजाही के लिए और बाहर से यात्रा करने वाले विर्निदिष्ट व्यक्तियों की आवाजाही के लिए है।

अब, इसलिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य कार्यकारिणी समिति, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में, अद्योहस्ताक्षरी , दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आदेश सं0 172 दिनांक 18.5.2020 के अधिक्रमण में एतद् द्वारा, देश के बाहर फंसे भारतीय नागरिकों की आवाजाही के लिए और विदेश से यात्रा करने वाले निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के साथ–साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 24.5.2020 को जारी किए गए दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली.

प्रतिलिपि अनुपालनार्थ :–

1. अध्यक्ष, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण।
2. महा निदेशक, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार/स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निगम/स्थानीय निकाय।
4. पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
5. प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली।

7. समस्त जिला उपायुक्त पुलिस, दिल्ली।
8. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को व्यापक प्रचार हेतु।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. नि.स. माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार।
2. नि0स. माननीय राज्य मंत्री (आई / सी), सुरक्षा ब्यूरो, भारत सरकार।
3. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
4. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. सचिव, माननीय श्रम मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. सचिव, माननीय समाज कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. सचिव, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
11. अपर मुख्य सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
12. प्रधान सचिव (राजस्व), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
13. समस्त सदस्य राज्य कार्यकारी समिति डीडीएमए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
14. सिस्टम अनेलिस्ट, मंडलीय आयुक्त दिल्ली का कार्यालय, दिल्ली सरकार की ddma.delhigovt.nic.in. वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
15. गार्ड फाइल।